भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2979
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

लंबित मामलों की संख्या कम करना

2979 श्री देबाशीष सामंतराय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) कार्यरत फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों का समयबद्ध निस्तारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालयी कर्मचारियों की उपलब्धता और भौतिक अवसंरचना, अंतर्ग्रस्त तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, तथा संबंधित हितधारकों अर्थात् अधिवक्ता समुदाय, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग शामिल है। तथापि, सरकार मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत न्याय तक पहुंच बढ़ाने तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का समावेशन, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत तथा विधायी उपाय, नवीन आपराधिक विधियों का अधिनियमन, विशेष त्वरित

न्यायालयों की स्थापना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना शामिल है।

(ख) से (घ) : त्वरित न्यायालय (एफटीसी) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, मामलों की विशिष्ट श्रेणियों के त्वरित विचारण के लिए, उनकी अपेक्षाओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 884 एफटीसी कायार्त्मक हैं। कायार्त्मक त्वरित न्यायालयों (एफटीसी) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे उपाबंध में दिए गए है।

उपाबंध

30.06.2026 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक त्वरित न्यायालय (एफटीसी)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यात्मक एफटीसी
1	आंध्र प्रदेश	21
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	17
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	27
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0
9	दिल्ली	26
10	गोवा	4
11	गुजरात	54
12	हरियाणा	6
13	हिमाचल प्रदेश	3
14	जम्मू और कश्मीर	8
15	झारखंड	40
16	कर्नाटक	0
17	केरल	0
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	0
21	महाराष्ट्र	117
22	मणिपुर	6
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	2
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	0
27	पुडुचेरी	1
28	पंजाब	7
29	राजस्थान	0
30	सिक्किम	2
31	तमिलनाडु	73
32	तेलंगाना	0
33	त्रिपुरा	2
34	उत्तर प्रदेश	373
35	उत्तराखंड	7
36	पश्चिम बंगाल	88
	कुल	884
